

बड़ी पहल: आइटी मंत्रालय की डीपफेक व एआइ का दुरुपयोग रोकने की तैयारी वीडियो-फोटो पर लिखना होगा एआइ जनरेटेड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी (एआइ) के दुरुपयोग व डीपफेक से निपटने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत एआइ जनरेटेड वीडियो व फोटो में लेबल लगाकर बताना होगा कि यह एआइ जनरेटेड है। आइटी मंत्रालय ने बुधवार को आइटी नियम-2021 में बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया। इस पर स्टेकहोल्डर्स से 6 नवंबर तक राय मांगी है। मंत्रालय का कहना है कि एआइ टूल्स के इस्तेमाल की आशंका गलत सूचना फैलाने, चुनावों में हेरफेर करने या व्यक्तियों की छवि खराब करने के लिए काफी बढ़ गई है। पढ़ें वीडियो @ पेज 13

पत्रिका की पहल, सरकार ने माना सही



पत्रिका ने 03
मई 2025 से
शुरू किया था
अभियान

एआइ जनरेटेड व डीपफेक वीडियो-फोटो को लेकर सबसे पहले पत्रिका ने लेबलिंग की पहल की थी। पत्रिका ने यह निर्णय लिया था कि एआइ जनरेटेड हर वीडियो-फोटो पर एआइ जनरेटेड लिखा जाएगा। इसके तहत समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रत्येक एआइ फोटो पर यह लिखा गया। इसकी जरूरत की पत्रिका ने पुरजोर वकालत भी की और केंद्र सरकार तक भी इस पहल व जरूरत को पहुंचाया। अब सरकार ने इसे मानकर एआइ जनरेटेड लेबल करना अनिवार्य करने के कदम उठाए हैं।

चुनाव के दौरान बढ़ा चलन



एआइ जनरेटेड वीडियो-फोटो का चुनावों में लगातार चलन बढ़ता जा रहा है। इन डीपफेक वीडियो को पहचानना भी

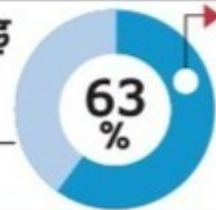
आसान नहीं रहता। अभी बिहार चुनाव के कारण राजनीतिक डीपफेक वीडियो का सोशल मीडिया पर प्रसार बढ़ गया है। इसमें प्रमुख राजनीतिक दल आपत्ति भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ही असली व फेक वीडियो-फोटो की पहचान मुश्किल से होती है। जब तक उसे पहचाना जाता है, तब तक उसका तेजी से प्रसार हो चुका होता है। ऐसे में लेबल करने से समस्या खत्म हो जाएगी।

यह कहते हैं आंकड़े

1.2 अरब से
ज्यादा इंटरनेट
यूजर्स देश में

47.6 करोड़
यूजर्स इंटरनेट
पर सक्रिय

51 करोड़ यूट्यूब चैनल देश में



भारतीयों
तक एआइ
की प्रभावी
पहुंच मानी
गई